प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2435/2007

याचिकाकर्ता श्री इंदरचंद राकेचा

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश हेतु दिनांक 19-11-2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2435/2007

याचिकाकर्ता श्री इंदरचंद राकेचा, आयु लगभग 44 वर्ष, नोटरी/अधिवक्ता, पिता—स्व. श्री बालूराम, निवासी—न्यू बस स्टैंड के पास, बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डी.के.एस. भवन, जिला रायपुर (छ.ग.)।

2. उप सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डी.के.एस. भवन, जिला रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्तक्षेपकर्ता सेवकराम सोनबरसा, पिता—स्व. श्री बृजीलाल सोनबरसा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी—मगरपारा, बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

श्री इंदरचंद राकेचा, याचिकाकर्ता स्वयं।

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता सहित श्री एस.के. मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य की ओर से।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता हस्तक्षेपकर्ता की ओर से ।

.....

आदेश

(दिनांक 19-11-2007 को पारित)

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित दिनांक 05-04-2007 के आदेश (अनुलग्नक पी./2) को अभिखण्डित करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की दिनांक 02-08-2006 की नियुक्ति को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि सद्भावनापूर्ण त्रुटि के कारण उसे आरक्षित पद पर रिक्तियों से अधिक नियुक्त कर दिया गया था।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक विधि व्यवसाय करने वाला अधिवक्ता है। दिनांक 01-08-2006 के आदेश (अनुलग्नक पी./1) द्वारा याचिकाकर्ता को तहसील बालोद, जिला दुर्ग में नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05-04-2007 के आदेश (अनुलग्नक पी./2) द्वारा याचिकाकर्ता की नोटरी के रूप में नियुक्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि उक्त नियुक्ति सद्भावनापूर्ण त्रुटि के कारण आरक्षित पद पर की गई थी, जबकि तहसील बालोद, जिला दुर्ग में नोटरी के पद पर कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य के अनुसार, दिनांक 23-08-2002 की अधिसूचना (अनुलग्नक आर/1) के अनुसार बालोद के लिए कुल छह स्वीकृत पद थे, जिनमें से छह नोटरी में से दो को प्रशासनिक सुविधा हेतु दल्लीराजहरा में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। त्रुटिवश तहसील बालोद, जिला दुर्ग में छह स्वीकृत पदों के विरुद्ध आठ नियुक्तियाँ कर दी गईं। याचिकाकर्ता की नोटरी के रूप में नियुक्ति को इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 (संतोष चंदपरेख एवं 5 अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं दो अन्य) में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह नियुक्ति उपलब्ध पदों से अधिक थी। उक्त त्रुटि को तत्काल सुधार लिया गया और इस प्रकार स्वीकृत पदों से अधिक होने के कारण याचिकाकर्ता की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इस न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 (संतोष चंदपरेख एवं 5 अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं दो अन्य), जिसमें याचिकाकर्ता पक्षकार-उत्तरवादी था, में इस मुद्दे पर विचार करते हुए उक्त याचिका को निरर्थक मानते हुए निरस्त कर दिया, क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य ने वह आदेश पारित कर दिया था, जो वर्तमान में विवादित है।

4. याचिकाकर्ता, जो रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 में पक्षकार-उत्तरवादी था, ने आक्षेपित आदेश पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की तथा उक्त याचिका के निरर्थक घोषित होकर निरस्त किए जाने के समय उसे स्वीकार कर लिया।

5. अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या याचिकाकर्ता को उस आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके आधार पर पूर्ववर्ती रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 को निरर्थक माना गया था। याचिकाकर्ता उक्त याचिका में पक्षकार-उत्तरवादी था और अपनी नियुक्ति निरस्त किए जाने के फलस्वरूप जब उक्त याचिका को निरर्थक घोषित किया गया, तब उसने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

6. याचिकाकर्ता, जो स्वयं उपस्थित हुआ, ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 05-04-2007 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी./2) अवैध है और इसे इस आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए कि आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उसने आगे यह भी कहा कि उक्त आदेश के नागरिक परिणाम हैं, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्षता का पालन किया जाना आवश्यक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित सहित श्री एस.के. मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 02-08-2006 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को तहसील बालोद, जिला दुर्ग में नोटरी नियुक्त किया गया था, अवैध एवं शून्य था, क्योंकि यह नियुक्ति उपलब्ध रिक्तियों से अधिक की गई थी। तहसील बालोद, जिला दुर्ग में पहले से ही छह अधिवक्ता नोटरी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नोटरी नियुक्ति से संबंधित विवाद पर रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 में विस्तृत विचार किया गया था, और उस याचिका के लंबित रहते हुए जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति निरस्त कर दी गई, तब उक्त याचिका को निरर्थक घोषित कर निरस्त कर दिया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता उस याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 3 था और उसने उस समय कोई आपत्ति नहीं की, जब न्यायालय ने यह पाया कि दिनांक 05-04-2007 के

पश्चातवर्ती आदेश (जो वर्तमान में विवादित है) के कारण रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 निरर्थक हो गई है।

8. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती फौजिया मिर्जा ने उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया।

9. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर संलग्न अभिवचनों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक थी, अर्थात् तहसील बालोद, जिला दुर्ग में नोटरी के केवल छह स्वीकृत पद थे। जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 में चुनौती दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 था, तब उसकी नियुक्ति, जो कि अवैध थी, निरस्त कर दी गई और इस न्यायालय ने पाया कि उक्त रिट याचिका निरर्थक हो गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मुझे आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या दोष नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में, यद्यपि याचिकाकर्ता को पूर्व में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, तथापि उसे पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ—पहले रिट याचिका क्रमांक 4011/2006 में और पुनः वर्तमान रिट याचिका में। याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि उसे किसी प्रकार की क्षति हुई है, जबकि उसे सुनवाई का अवसर दिया गया। यदि उसे पूर्व में भी सुनवाई का अवसर दिया जाता, तब भी आक्षेपित आदेश भिन्न नहीं होता। सभी पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तहसील बालोद में नोटरी के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक थी।

11. ***पी.डी. अग्रवाल बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य***[1] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है—

> "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस न्यायालय के *स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा* तथा *राजेंद्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य* के निर्णयों के

1 (2006) 8 SCC 776

आलोक में विधि का सिद्धांत यह है कि शिकायतकर्ता को वास्तविक क्षति होना आवश्यक है। न्यायालय अपने पूर्व के उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुका है कि किसी भी छोटे उल्लंघन के कारण आदेश स्वतः शून्य हो जाएगा। 'दूसरे पक्ष् को भी सूने जाने' के सिद्धांत के संदर्भ में, उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है, जहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, और उन मामलों में जहाँ केवल तकनीकी उल्लंघन हुआ है। न्यायालय प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करता है। इसे शून्य में, बिना संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ के लागू नहीं किया जाता। यह कोई अनियंत्रित सिद्धांत नहीं है और इसे किसी अनम्य सूत्र में नहीं बांधा जा सकता।"

12. उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में, यह याचिका खारित की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**